न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रमेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 75/2023
निर्णय दिनांक : 10.10.2023
GCMS NO : 2023/137

सोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
...............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू

.............प्रतिवादी

2. अगरी देवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी खुड़ी तहसील सुजानगढ़
3. तेजाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी खुड़ी तहसील सुजानगढ़
4. विजयपाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी खुड़ी तहसील सुजानगढ़

................गौण प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री नेमीचन्द गोदारा एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 की ओर से श्री रमेश बिश्शु एड. उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी सोहनी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की स्थायी निवासीनी है जिनके वाके रोही खुड़ी में खेत खाता संख्या 389 के खसरा संख्या 948/96 रकबा 5.1465 हैक्टेयर व 950/474 रकबा 2.6807 हैक्टेयर कुल तादाद 2 कुल तादादी 7.8272 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है। उपरोक्त खसराजात में वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुननी देवी पुत्री सुरजाराम दर्ज चला आ रहा है जो गलत है वादीनी का सही नाम उसके समस्त दस्तावेजात के अनुसार सोहनी पुत्री सुरजाराम है।

वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादीनी को राजकीय लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने का आदेश करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार सुजानगढ़ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुणणी पुत्री सुरजाराम दर्ज है जबकि वादीनी के दस्तावेजात में सोहनी पुत्री सुरजाराम अंकित है। कुणणी व सोहनी दोनों एक ही है। अतः वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सोहनी पुत्री सुरजाराम किया जाना उचित है।

गौण प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 4 न जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी का राजस्व रिकॉर्ड में ग्रामीण परिवेश में मुंहबोला नाम कुननी देवी पुत्री सुरजाराम दर्ज हो गया जबकि वादीनी का सही नाम सोहनी पुत्री सुरजाराम है। अगर वादीनी अपना नाम दुरूस्त करवाती है तो हम गौण प्रतिवादीगण को कोई उजर आपति नहीं है बल्कि पूर्ण सहमति है।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। वादीनी अधिवक्ता ने दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादीनी डिक्री किये जाने बाबत् निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण ने भी मुताबिक जवाब दावा वाद वादीनी डिक्री किये जाने बाबत् कोई उजर आपति नहीं होने का कथन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न कार्यालय ग्राम पंचायत खुड़ी का प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुननी देवी पुत्री सुरजाराम तथा सोहनी पत्नी केशराराम दोनों एक ही महिला के नाम हैं। रिपोर्ट तहसीलदार से भी स्पष्ट है कि वादीनी का नाम सोहनी पुत्री सुरजाराम है। गौण प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब दावा में अंकित किया है कि वादीनी का सही नाम कुननी देवी पुत्री सुरजाराम की बजाय सोहनी पुत्री सुरजाराम है।

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीनी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 389 के खसरा संख्या 948/96 रकबा 5.1465 हैक्टेयर तथा 950/474 रकबा 2.6807 हैक्टेयर कुल तादाद 2 कुल तादादी 7.8272 हैक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित में वादीनी का नाम कुननी देवी पुत्री सुरजाराम के स्थान पर सोहनी पुत्री सुरजाराम दर्ज किया जावे। त[illegible] हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.[illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

रमेश कुमार
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
व इजलास श्री रमेश कुमार आर.ए.एस

सोहनी बनाम राज. सरकार आदि
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 75 सन 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु हाजरी श्री नेमीचन्द गोदारा एड. मिनजानिब मुद्दई रमेश बिश्नु एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है

दावा वादीनी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खाता संख्या 389 के खसरा संख्या 948/96 रकबा 5.1465 हैक्टेयर तथा 950/474 रकबा 2.6807 हैक्टेयर कुल तादाद 2 कुल तादादी 7.8272 हैक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में स्थित में वादीनी का नाम कुननी देवी पुत्री सुरजाराम के स्थान पर सोहनी पुत्री सुरजाराम दर्ज किया जावे।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक ....
.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 10. 2023

मुहर

उपखण्ड अधिकारी ... जिला ...

दस्तखत ....
ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर [illegible] [illegible] हुक्मनामा मु[illegible] [illegible]		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:10:01 IST
Reason: SelfAttested

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये